संदेश

मेरे बहादुर हिमवीरों,

बल के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए यह पुस्तिका जारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बल में नित नई कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया जा रहा है, ताकि हमारे हिमवीर व उनके आश्रित इनसे लाभान्वित हो सकें।

वैसे तो बल में चलाई जा रही इन योजनाओं की जानकारी किसी न किसी माध्यम से बल के हिमवारों और उनके आश्रितों तक समय–समय पर पहुँचाई जाती रहती है, लेकिन फिर भी यह महसूस किया गया है कि योजनाओं के बारे में समेकित जानकारी बल की सभी इकाइयों में अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए एक पुस्तिका तैयार कर उपलब्ध करवाई जाए ताकि सभी इससे जागरूक हो सकें।

हिमवीर तथा उनके आश्रित अपनी किसी भी समस्या अथवा शिकायत के निदान हेतु आई.टी.बी.पी. शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं अन्यथा उप महानिरीक्षक (कल्याण), महानिदेशालय के मोबाइल नं0–9560070212 पर एस.एम.एस. के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका में बल में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में दी गई जानकारियाँ निश्चित ही हिमवीरों एवं उनके आश्रितों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी।

मैं, आप सभी के सुखमय एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ।

आर. के. पचनंदा
महानिदेशक
भा.ति.सी.पुलिस

विशेष कल्याण निधि

यह निधि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में चलाई जा रही मास्टर तथा सब्सिडियरी कैंटीनों से अर्जित लाभांश से अराजपत्रित कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाई गई है।

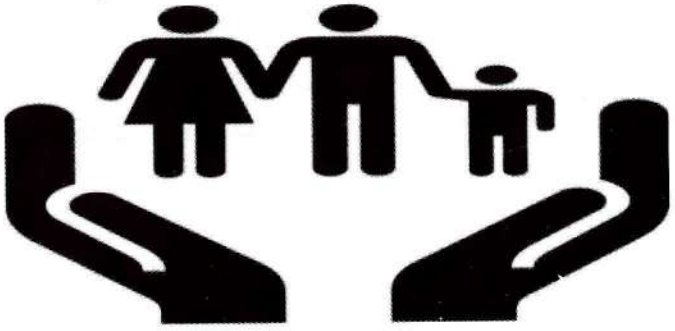

(i) चिकित्सा उपचार :-

- ✓ यह योजना सेवानिवृत्त/मेडिकल बोर्ड आउट हुए अराजपत्रित कर्मियों और सेवानिवृत/मेडिकल बोर्ड आउट/दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के आश्रितों के लिए लागू होगी।
- ✓ चिकित्सा उपचार हेतु सहायता केवल जानलेवा बीमारियां जैसे–कैंसर, एच.आई.वी. एडस, हृदय रोग इत्यादि के लिए देय होगी, और इस योजना का लाभ केवल उन सेवानिवृत्त कर्मियों/उनके परिवारों के लिए है जो सी.जी.एच.एस. का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- ✓ प्रत्येक मामले के लिए अनुदान रूपये– 50,000/– तक ही सीमित रहेगा। प्रति वर्ष मामलों की संख्या बजट पर निर्भर करेगी।

- ✓ अस्पताल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और प्रार्थनापत्र चिकित्सा दस्तावेजों और चिकित्सक द्वारा उसके पत्रशीर्ष पर उपचार में आने वाले खर्च की राशि के उल्लेख के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ✓ मामले सीधे शिकायत एवं कल्याण सेल, महानिदेशालय को भेजे जाएंगे।

(ii) पुत्री की शादी के लिए :-

क. सेवानिवृत्त/मेडिकल बोर्ड आउट एवं दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 02 अविवाहित पुत्रियों की शादी के लिए लागू है।

ख. प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम राशि रूपये 25000/–तक सीमित है।

ग. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उसकी वाहिनी/अन्तिम वाहिनी/फॉर्मेशन द्वारा अपने स्तर पर जांच करने के बाद जन्म प्रमाण–पत्र/आयु प्रमाण–पत्र, शादी की निर्धारित तिथि की घोषणा सहित कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुति विवाह की तिथि से 02 माह पूर्व प्रेषित किया जाएगा।

सीधे प्रेषित किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि मामला स्वीकार किया जाता है। तो आवेदक को शादी के 03 माह के भीतर विवाह का प्रमाण–पत्र प्रेषित करना होगा। विवाह प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

(iii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण हेतु सहायता :-

- यह सहायता सेवानिवृत्त एवं दिवंगत अराजपत्रित कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लागू है।
- प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम अनुदान राशि रूपये 50,000/– तक सीमित होगी।
- इस योजना के लिए मकान आवेदक अथवा उसकी पत्नी के नाम एकमात्र आवासीय घर होना चाहिए तथा इस आशय की घोषणा हलफनामे के माध्यम से दी जानी चाहिए।

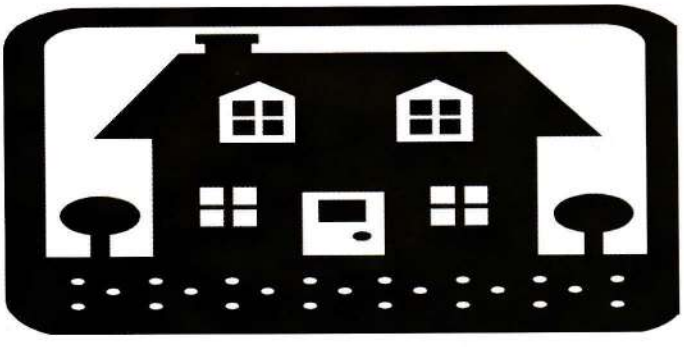

- मकान के क्षतिग्रस्त होने का साक्ष्य संबंधित कर्मी द्वारा उसकी वर्तमान एवं अंतिम वाहिनी/फॉर्मेशन के इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। स्वयं की संतुष्टि के उपरान्त कि क्षतिग्रस्त घर रहने की स्थिति में नहीं है, वाहिनी इंजीनियर अपनी संस्तुति संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो पुनः मामले को अपनी संस्तुति के साथ अनुदान हेतु कल्याण शाखा, महानिदेशालय को प्रेषित करेगा।

(iv) अत्यंत गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के माता-पिता के लिए सहायता :-

- दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों के वे माता–पिता जिनके अन्य पुत्र/

पुत्री ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त नहीं की है तथा जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं वे वित्तीय अनुदान के लिए बल में आवेदन कर सकते हैं।

- प्रति मामले हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये– 25,000/– सीमित है तथा अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता।

- आवेदक दिवंगत कर्मी की अंतिम वाहिनी में आश्रितों के आय प्रमाणपत्र, अश्रितों का विवरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा आयु प्रमाणपत्र का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- वाहिनी/संस्थान कमान अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि विशेष संदेश वाहक के माध्यम से करने के उपरान्त यदि मामले को योग्य समझते हैं तो अपनी संस्तुति सहित मामला महानिदेशालय, कल्याण प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे।

(v) सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के अशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए :-

- ✓ आयु/कक्षा की अपेक्षा किए बिना यदि कोई अशक्त बच्चा किसी संस्थान में दाखिला पा लेता है तो वह विशेष कल्याण निधि से एकमुश्त अनुदान धनराशि रूपये 50,000/– के लिए पात्र होगा।
- ✓ प्रति वर्ष 10 मामलों को ही यह अनुदान देय है, 10 से अधिक मामले प्राप्त होने पर निदेशक चिकित्सा द्वारा प्रस्तुत अशक्तता के प्रतिशत/डिग्री के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
- ✓ अशक्तता साक्ष्य एवं संस्थान द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र सहित आवेदनपत्र आवेदक की वाहिनी/अंतिम वाहिनी को अग्रेसित किया जाएगा।
- ✓ संबंधित कार्यालय अध्यक्ष मामले को कल्याण प्रकोष्ठ,महानिदेशालय को प्रेषित करेंगे।
- ✓ प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक आवेदन, संबंधित दस्तावेजों सहित प्राप्त किए जाएंगे तथा अनुदान अगले वर्ष माह जनवरी में आबंटित किया जाएगा।

(vi) दिवंगत कार्मिकों (अराजपत्रित कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो) के उच्चतर सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :-

जो बच्चे निम्नलिखित संस्थानों में दाखिला प्राप्त करते हैं उन्हें रूपये–50,000/– प्रारंभिक छात्रवृत्ति देय होगी।

क. सरकारी मेडिकल कॉलेज।

ख. सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज।

ग. क्लैट (CLAT) (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से पाँच वर्षीय इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम।

घ. चयनित बच्चों को प्रत्येक वर्ष कक्षा/कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत रूपये– 50,000/– की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।

ङ. आवेदक दिवंगत कर्मी की अंतिम वाहिनी को संबंधित संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कि बच्चा उक्त संस्थान में अध्ययनरत् है) एवं अंक तालिका की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उनके स्तर पर की जाने वाली जाँच पड़ताल के लिए प्रस्तुत करेगा।

च. वाहिनी द्वारा आवेदन की जांच करने के उपरांत अपनी संस्तुति सहित छात्रवृत्ति (आरंभिक/आगामी) हेतु मामला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा।

(vii) दिवंगत अराजपत्रित अधिकारियों (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है) के अशक्त बच्चों तथा भा.ति.सी.पु. के पूर्व कार्मिक (अराजपत्रित अधिकारी) जो 50 प्रतिशत से अधिक अशक्त हैं, के लिए चलने-फिरने के उपकरण हेतु अनुदान :-

क. दिवंगत अराजपत्रित अधिकारियों (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है) के अशक्त बच्चे/भा.ति.सी.पु. के पूर्व कार्मिक (अराजपत्रित अधिकारी जो 50 प्रतिशत से अधिक अशक्त हैं) चलने–फिरने के उपकरण की कीमत पाने के लिए चलने–फिरने के उपकरण अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ख. आवेदनपत्र दिवंगत अराजपत्रित अधिकारी की अंतिम वाहिनी को अग्रेषित किया जाएगा जो मामले की जाँच पड़ताल कर उसे पुनः शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को प्रेषित करेगी। अनुदान उपकरण का वास्तविक मूल्य या रूपये–60,000/–(अधिकतम अनुदान सीमा) जो भी कम हो, देय होगा।

(viii) भा.ति.सी.पु. बल के सभी पदाधिकारियों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता :-

पात्रता

क. आवेदक कर्मी की वैध संतान होनी चाहिए।

ख. अनाथ पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष एवं पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।

यदि अनाथ बच्चा नाबालिग है व उसके कानूनी अभिभावक इच्छुक हैं तो उसे भा.ति.सी.पु. के ऐसे पब्लिक स्कूल जिसमें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, में दाखिला दिलाया जा सकता है। शिक्षा का पूरा खर्च (जिसमें फीस/वर्दी/लेखन सामग्री/रहना व खाना शामिल हैं) विशेष कल्याण निधि से वहन किया जाएगा। बच्चे की शिक्षा के खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित भा.ति.सी.पु. के पब्लिक स्कूल को स्कूल प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक रसीदें जमा करने पर की जाएगी। बच्चे को स्कूल में दाखिले की अवधि से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक माह रू 500/–जेब खर्च भी दिया जाएगा। यदि अनाथ बच्चा बालिग एवं इच्छुक है, तो उसे भा.ति.सी.पु. बल के किसी भी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है और वह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, ऊपर दिए गए सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्कूली शिक्षा पूर्ण करने पर किसी भी सरकारी संस्थान से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनाथ बच्चे की ट्यूशन फीस व अनिवार्य प्रभार छात्रावास फीस सहित विशेष कल्याण निधि से वहन किए जाएंगे और जिसका भुगतान सीधे बच्चे के खाते में, उसके द्वारा संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दाखिला प्रमाणपत्र एवं आवश्यक रसीदें प्रस्तुत करने पर, कर दिया जाएगा। सरकारी शिक्षण संस्थान में एक बार दाखिला हो जाने पर मासिक जेब खर्च रूपये 1,000/– भी बच्चे के खाते में जमा कर दिया जाएगा। बच्चे की आयु 21 वर्ष हो जाने पर अनुदान बंद कर दिया जाएगा। यह सहायता सेवा से हटाए/बर्खास्त किए दिवंगत कार्मिकों के बच्चों के लिए लागू नहीं होगी।

महानिदेशक, भा.ति.सी.पु बल छात्रवृत्ति योजनाः-

यह योजना बल में कार्यरत उन पदाधिकारियों के बच्चों के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। ऐसे मामले सीधे शिक्षा शाखा, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस में भेजे जाएं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

80–89 प्रतिशत	लड़कों के लिए रूपये 3000/–	लड़कियों के लिए रूपये 3200/–
90 प्रतिशत एवं इससे अधिक	लड़कों के लिए रूपये 5,000/–	लड़कियों के लिए रूपये 5200/–
ओवरऑल टॉपर रूपये 11000/–	**क.** यदि राजपत्रित अधिकारी का बच्चा टॉपर होता है तो अराजपत्रित कर्मी के सर्वोच्च स्थान प्राप्त बच्चे को भी रूपये 11 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। **ख.** यदि अराजपत्रित कर्मी के बच्चों में से कोई पुत्र टॉपर होता है तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अराजपत्रित कर्मी की पुत्री को भी रूपये 11 हजार की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। **ग.** टॉपर को प्रतिशत पर आधारित कोई अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।	

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना :-

क. 2,000 छात्रवृत्तियां (1000 लड़कों के लिए और 1000 लड़कियों के लिए)

ख. रूपये–2250/– प्रतिमाह प्रति लड़की और रूपये–2,000/– प्रतिमाह प्रति लड़के को सालाना भुगतान किया जाता है।

ग. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासी निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में केवल पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे बी.ई., बी.टेक, बीडीएस, एम.बी.बी.एस., बी.एड., बीबीए, बीसीए, बी.फार्मा, बी.एस.सी. (नर्सिंग, कृषि आदि) हेतु।

घ. अवधि 1 से 5 साल (पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर और नियामक संस्था द्वारा यथा अनुमोदित)

ङ. **www.scholarship.gov.in** – पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

च. किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बच्चों के लिए कोटा निर्धारित नहीं है।

श्रेणी वार वरीयताः-

श्रेणी–एः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के लिए देय जो किसी कार्रवाई में शहीद हुए हों।

श्रेणी–बीः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन कार्मिक के लिए जो किसी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों।

श्रेणी–सीः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन दिवंगत कार्मिकों के बच्चों/वीर नारियों के लिए जिसकी मृत्यु सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हुई हो। इसमें चुनाव ड्यूटी भी शामिल है।

श्रेणी–डीः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन

कार्मिकों के बच्चों के लिए देय है जो सरकारी ड्यूटी के कारण अशक्त हुए हों।

श्रेणी–ई: पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के गैलेन्ट्री पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों के बच्चों के लिए।

श्रेणी–एफ: पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के अराजपत्रित कर्मियों के बच्चों के लिए।

श्रेणी–जी: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के सेवारत अराजपत्रित कर्मियों के बच्चों के लिए।

सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन छात्रवृत्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के कर्मियों के बच्चों के लिए देय है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया एवं जो ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से अशक्त हो गए या सेवा से चिकित्सा आधार पर जिन्हें बोर्ड आउट कर दिया गया। ऐसे मामले कर्मी की अंतिम वाहिनी से शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में प्रेषित किए जाएंगे जिनकी जांच करने के उपरांत उन्हें गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

क. कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए।
ख. कक्षा पहली से कक्षा चौथी तक रूपये 500/– प्रतिमाह।
ग. कक्षा 5वीं से कक्षा 7वीं तक रूपये 750/– प्रतिमाह।
घ. कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक रूपये 1000/– प्रतिमाह।
ङ. प्रत्येक वर्ष पांच सालों के लिए 300 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।
च. यह छात्रवृत्ति वर्ष 2016 में शुरू हुई थी।

पुलिस मेमोरियल फंड छात्रवत्रि :-

क. यह आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई है।
ख. ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए अराजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए देय है।
ग. व्यावसायिक शिक्षा के लिए रूपये 15000/– वार्षिक (एमबीबीएस, बी.टैक, एमबीए, एमसीए, बी.ई. आदि)
घ. सामान्य शैक्षिक विश्वविद्यालय कोर्स के लिए रूपये 5000/– वार्षिक (बी.ए., बी.कॉम, एम.एस.सी., एम.सी.ए. आदि)
ङ. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पांच छात्रवृत्तियां।
च. सामान्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए 10 छात्रवृत्तियां।
छ. मेरिट आधार पर संस्थान स्तर/संस्थान की प्रतिष्ठा पर आधारित।
ज. सीटों की संख्या बजट की उपलब्धता के आधार पर बदली जा सकती है।
झ. शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल प्रत्येक वर्ष समस्त वाहिनियों से नामांकन प्राप्त कर योग्य नामांकनों को आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) को प्रेषित करेगा।

हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन:-

क. हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
ख. हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यता आईटीबीपी कर्मियों की पत्नियों एवं महिला अधिकारियों के लिए खुली है जो धर्म, जाति, रंग, लिंग या पंथ के भेदभाव के बिना हावा के द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और हावा के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

'हावा' छात्रवृत्ति:-

1. सी.बी.एस.ई. या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बोर्डों से दसवीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिवंगत कर्मियों के बच्चे जिन्होंने 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं, वह हावा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में हिमवीर वाइव्स कल्याण निधि से एक बार अनुदान दिया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क. यदि 10वीं कक्षा में किसी छात्र ने 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं :–

- लड़के के लिए रूपये 2000/– छात्रवृत्ति।
- लड़की के लिए रूपये 2200/– छात्रवृत्ति।

ख. यदि 12वीं कक्षा में छात्र ने 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक किए हैं :–

- लड़के के लिए रूपये 3000/– छात्रवृत्ति।
- लड़की के लिए रूपये 3200/– छात्रवृत्ति।

2. 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद निम्नलिखित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले दिवंगत कर्मियों के बच्चे एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं (लड़कों के लिए 5000/– और लड़कियों के लिए 5200/– रूपये)। छात्रवृत्ति हिमवीर वाइव्स कल्याण निधि से दी जाएगी।

- मेडिकल कॉलेज/संस्थान (सरकारी) में प्रवेश हेतु।
- इंजीनियरिंग कॉलेज/संस्थान में (सरकारी) प्रवेश हेतु।
- कानून (लॉ) में प्रवेश (5 वर्ष पाठ्यक्रम)/संस्थान (सरकारी) हेतु।

3 दिवंगत कर्मियों के अशक्त बच्चों को उनका जीवन सुगम बनाने वाले उपकरण को क्रय के लिए एकमुश्त अनुदान रूपये– 5000/– दिया जाएगा।

- **उपर्युक्त योजनाओं का लाभ उठाने के** लिए आवेदन निम्नांकित पते पर हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को भेजे जाने चाहिए :– हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (हावा), 22वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, तिगड़ी कैम्प, नई दिल्ली–110062, टेलीफोन नंबर :– 011–26041732, ई–मेल– hwwaladies@gmail.com पर दिनांक 31 जुलाई, 2018 को या उससे पहले।
- योजना (1) और (2) वर्ष 2017–2018 से लागू है।

केन्द्र सरकार द्वारा एकमुश्त मुआवजा अनुग्रह राशि :-

1) मृत्यु पर

परिस्थिति	मूल्य
सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	रुपये 25 लाख
आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसा के दौरान मृत्यु होने पर	रुपये 25 लाख
सीमावर्ती संघर्ष, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर	रुपये 35 लाख
प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति, उच्च तुंगता और दुर्गम सीमा चौकियों आदि पर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर	रुपये 35 लाख

युद्ध के दौरान दुश्मन से कार्रवाई या ऐसे युद्ध में होने वाली मृत्यु, जिसे विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया है और विदेशों में युद्ध–ग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान मृत्यु होने पर	रू0 45 लाख

2) सेवा से चिकित्सा बोर्ड आउट होने पर :– केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान अशक्त हो जाते हैं और सेवा में अशक्तता के कारण अयोग्य होने पर सेवा से बोर्ड आउट हो जाते हैं, उन्हें 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए 20 लाख रू अनुग्रह राशि मुआवज़े के रूप में भुगतान की जाएगी। 100 प्रतिशत से कम अशक्तता वाले मामलों के लिए, अशक्तता की डिग्री के अनुपात में अनुग्रह राशि के मुआवज़े को कम किया जा सकता है, हालांकि न्यूनतम 20 प्रतिशत अशक्तता अनुग्रह राशि के मुआवज़े के लिए शर्त होगी।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा सेवा के दौरान मृत्यु होने/अशक्त होने वाले के.स.पु.ब./अ.रा. कर्मियों के उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का विवरण :–

नोटः– विस्तृत जानकारी कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड, वार्ब, कमरा न0 204–205 द्वितीय तल, एफ0 विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–11, दूरभाष– 011–23063111, ई.मेल secywarb-mha@nic.in, वेबसाइट– www.warb-mha.gov.in और अंतिम तैनाती वाहिनी/कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. से प्राप्त की जा सकती है।

1) अरूणाचल प्रदेश :– भारत संघ के के.स.पु.ब/सशस्त्र बलों के कर्मियों जिनकी मृत्यु/ अशक्तता, अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए या राज्य सरकार के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों/प्रतिविद्रोहिता के दौरान हुई मुठभेड़ में गम्भीर रुप से घायल होने पर, उनके उत्तराधिकारियों के लिए लागू है।

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रुपये 50 लाख
स्थायी अशक्तता होने पर	रुपये 10 लाख
गंभीर चोट लगने पर	रुपये 50,000/–

2) असमः– राज्य सरकार के कर्मचारियों, होम गार्ड, सेना के कर्मियों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के उत्तराधिकारियों के लिए लागू है जो कि राज्य में प्रतिविद्रोहिता के लिए तैनात हैं:–

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रुपये 20 लाख
50 प्रतिशत और इससे अधिक अशक्तता होने पर	रुपये 02 लाख
गैर– गंभीर चोट लगने पर	रुपये 25,000/–

इसके अतिरिक्त, गैलेन्ट्री मेडल प्राप्त कर्मियों के लिए पाँच लाख रूपये और वशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित कर्मियों के लिए तीन लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

3) आन्ध्र प्रदेशः– चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा के दौरान घायल/ मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त पुलिस कर्मियों (राज्य के निवासी) के उत्तराधिकारियों के लिए है:–

लाभार्थियों की श्रेणी	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में मृत्यु के मामलों में	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में स्थायी अशक्तता के मामले में	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में गंभीर रूप से घायल के मामले में
पुलिस अधिकारी और अन्य विभाग के अधिकारी :–			
पी.सी. और अन्य विभागों में सिविल सेवकों के उप निरीक्षक और समकक्ष पद हेतु।	रुपये– 25 लाख	रुपये–10 लाख	रुपये–03 लाख
अन्य विभागों में सिविल सेवकों के निरीक्षक और उच्च पद और समकक्ष पद हेतु।	रुपये– 30 लाख	रुपये–10 लाख	रुपये–03 लाख

4) बिहार :– युद्ध/युद्ध जैसे हालात/मुठभेड़/नक्सली हमले में शहीद हुए बिहार राज्य के कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू है

परिस्थिति	रकम
मृत्यु पर	रुपये 11 लाख

5) छत्तीसगढ़ :– छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के दौरान के.स.पु.ब और अन्य राज्य के शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू है–

परिस्थिति	रकम
अनुग्रह राशि	रुपये 03 लाख

6) चण्डीगढ़ :– (राज्य में कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर)

परिस्थिति	रकम
राज्य से सबंधित होने पर	रुपये 05 लाख
राज्य से सबंधित नहीं होने पर	रुपये 02 लाख

7) दिल्ली :– जिन कर्मियों का सेवा में शामिल होने की तिथि से स्थायी पता दिल्ली है, ऐसे रक्षा और केन्द्रीय अर्धसैनिक कर्मियों की किसी कार्रवाई/युद्ध के दौरान मृत्यु होने पर।

क. दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रहे अर्धसैनिक बल कर्मियों/ दिल्ली पुलिस द्वारा आधिकारिक ड्यूटी के निष्पादन के दौरान मृत्यु होने पर।

परिस्थिति	रकम
राज्य या राज्य के बाहर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर	रुपये 01 करोड़ और दिल्ली सरकार में समूह 'ग' या 'घ' के पद पर कर्मी के उत्तराधिकारी को रोजगार।

कुल अनुग्रह राशि रूपये 01 करोड़ होगी। 50 लाख रूपये एकमुश्त उत्तराधिकारियों को तुरंत भुगतान किया जाएगा जबकि 50 लाख की राशि को जमा योजना में रखा जाएगा जो 10 वर्षों के बाद उत्तराधिकारी को दी जाएगी। इस योजना के तहत 10 वर्षों का ब्याज उत्तराधिकारी को किसी स्कीम के तहत देय होगा जिसकी प्रक्रिया को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार के तहत समूह–ग. या घ. पद पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते संबंधित रक्षा/पुलिस संगठन द्वारा रोजगार की पेशकश नहीं की गई हो।

8) गुजरात :-

परिस्थिति	रकम
गुजरात राज्य में किसी कार्रवाई में शहीद हुए गुजरात राज्य के कर्मी या वे गैर राज्जीय कर्मी जो गुजरात राज्य में किसी कार्रवाई में शहीद हुए हों	रुपये 01 लाख

9) गोवा :- (राज्य के निवासी जो राज्य अथवा बाहर शहीद हुए हों)

परिस्थिति	रकम
मृत्यु के प्रत्येक मामले में	रुपये 10 लाख
अशक्तता पर	रुपये 03 लाख
सैन्य सेवा के दौरान मृत्यु हाने पर	रुपये 08 लाख
सैन्य सेवा के दौरान अशक्तता होने पर	रुपये 02 लाख
आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा के दौरान मृत्यु होने पर	रुपये 08 लाख
आंतकवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा के दौरान अशक्त होने पर	रुपये 02 लाख

10) हरियाणा :- (राज्य के निवासी)

युद्ध या उग्रवादी/आतंकवादी हमले में संचलन क्षेत्र में सेवा के दौरान शहीद हुए या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अशक्त होने वाले केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के परिवार के सदस्यों के लिए लागू है। राशि निम्नानुसार देय है :-

परिस्थिति	रकम
युद्ध/आतंकवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई में मृत्यु	रुपये 50 लाख
आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, संचलन, चुनाव, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियान आदि के दौरान मृत्यु	रुपये 50 लाख
75 प्रतिशत या इससे अधिक अशक्तता होने पर	रुपये 35 लाख
50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 25 लाख
25 से 49 से 74 प्रतिशत अशक्तता पर	रुपये 15 लाख

यह राशि केवल उन मामलों में देय होगी जो दिनांक 1.11.2016 को या उसके बाद घटित हुए हो और सेवा में नियुक्ति के दौरान कर्मी हरियाणा का निवासी हो।

11) हिमाचल प्रदेश :- (हिमाचल प्रदेश राज्य के सैनिकों/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू)

परिस्थिति	रकम
लड़ाई के दौरान मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को	रुपये 05 लाख
ऑपरेशन के दौरान अशक्त हुए सैनिक (50 प्रतिशत या इससे अधिक अशक्तता होने पर)	रुपये 1.5 लाख
ऑपरेशन के दौरान अशक्त हुए सैनिक (50 प्रतिशत या इससे कम अशक्तता होने पर)	रुपये 75 हजार
शरीरिक चोट	रुपये 35 हजार

12) झारखण्ड :- (आतंकवादी/नक्सली गतिविधियों में शहीद हुए कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए)

परिस्थिति	रकम
राज्य में किसी कार्रवाई के दौरान शहीद– चाहे राज्य के निवासी हों अथवा नहीं	रुपये 2.5 लाख

13) जम्मू एवं कश्मीर :-

क. शासकीय कार्यों का निर्वहन करते हुए मृत्यु अथवा अशक्त या दुष्परिणामों से प्रभावित होने वाले कर्मियों के लिए लागू ।

ख. अनुग्रह सहायता राशि की मंजूरी गृह विभाग द्वारा दी जाएगी।

ग. लाभार्थी को भुगतान संबंधित अर्धसैनिक बलों की स्थानीय इकाई के सेनानी के माध्यम से किया जाएगा।

घ. अनुग्रह सहायता राशि उन अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के उत्तराधिकारियों को भी देय होगी जो जम्मू–कश्मीर राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आतंकवादी घटनाओं में छुट्टी के दौरान अथवा अंतर स्टेशन संचलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको शहीद हुए कार्मिकों की तरह समान दरों पर अनुग्रह सहायता राशि निम्नानुसार लागू है।

परिस्थिति	रकम
मृत्यु के लिए (गैर–राज्य निवासी)	रुपये 02 लाख
मृत्यु के लिए (राज्य से संबंधित)	रुपये 5 लाख
स्थायी अशक्तता के लिए	रुपये 75 हजार
आंशिक अशक्तता के लिए	रुपये 10 हजार

14) कर्नाटक :- कर्नाटक के सैनिकों के लिए सुविधाएं जो युद्ध/युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद/अशक्त हुए हों :-

परिस्थिति	रकम
फरवरी 2016 से माननीय मुख्यमंत्री राहत निधि से वीर नारियों के लिए।	रुपये 25 लाख
किसी कार्रवाई के दौरान पूर्ण अशक्त और शहीद हुए सैनिकों के उत्तराधिकारी के लिए	रुपये 5 लाख
घायल/लापता सैनिक	रुपये 1 लाख

क. 2 एकड़ आर्द्र या 4 एकड़ जलयुक्त या 87 एकड़ सूखी भूमि किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए कर्मियों के परिवारों को दी जाएगी, यदि भूमि आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो रूपये 10 लाख नगद अनुदान स्वीकार्य है।

ख. युद्ध दुर्घटना में मारे गए अधिकारियों/जे.सी.ओ के लिए मुफ्त निर्मित मकान या क्रमशः रूपये 6 लाख और रूपये 4.5 लाख स्वीकार्य है।

ग. मुफ्त क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के बदले में नगद :-

स्थान	अधिकारी/जे0सी0ओ	अन्य पद
	40X60	30X40
बेंगलुरु	रुपये 25 लाख	रुपये 20 लाख
अन्य स्थानों पर	रुपये 20 लाख	रुपये 15 लाख

घ. पूर्व सैनिक कोटे के तहत युद्ध में शहीद हुए आश्रितों के लिए रोजगार में आरक्षण।

ङ. युद्ध के दौरान अशक्त हुए सैनिकों/वीर नारियों की प्रत्येक पुत्री के विवाह के लिए अनुदान रूपये 1,00,000/–

च. युद्ध क़े शहीदों के लिए 15 साल में एक बार मकान मरम्मत अनुदान रूपये 3,00,000/–

छ. युद्ध के दौरान शहीदों के लिए हाउस टैक्स प्रतिपूर्ति।

ज. 1978 से पहले युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए रूपये 3000/– मासिक मानदेय।

15) केरल :– चरमपंथी/नक्सलियों या आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद/अशक्त हुए रक्षा बल/अर्धसैनिक बल के कर्मियों के लिए लागू है जो 'मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण निधि' के दायरे में शामिल किए जाएंगे।

परिस्थिति	रकम
जम्मू कश्मीर में किसी कार्रवाई के दौरान राज्य के निवासी की मृत्यु होने पर	रुपये 10 लाख
केरल के अंदर चरमपंथी/नक्सली के साथ लड़ाई के दौरान (राज्य के निवासी व अन्य राज्यों के निवासी पर भी लागू)	
मृत्यु होने पर	रुपये 05 लाख
गंभीर रुप से घायल होने पर	रुपये 03 लाख

घायल/अशक्त मामलों में मुख्यमंत्री की सैनिक कल्याण निधि समिति चोट या अशक्तता की प्रकृति के आधार पर राशि का निर्धारण करेगी।

16) मध्य प्रदेश :– सेना/के.स.पु.ब के शहीद हुए उत्तराधिकारियों के लिए लागू है जो राज्य के निवासी हैं।

परिस्थिति	रकम
मृत्यु या 100 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 10 लाख
50 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 05 लाख
25 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 2.5 लाख
पुत्री/बहन की शादी हेतु	रुपये 10 हजार
अनुकम्पा आधार पर आश्रितों को नौकरी	

17) महाराष्ट्र :– (कार्रवाई के दौरान राज्य में या राज्य से बाहर शहीद होने पर)

परिस्थिति	रकम
मृत्यु के मामले में (महाराष्ट्र के निवासी यदि किसी कार्रवाई के दौरान राज्य में शहीद हुए हों या अन्य राज्य के निवासी जो राज्य के अन्दर शहीद हुए हों)	रुपये 10 लाख
एस.आर.ई. स्कीम में सभी शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों को देय (राज्य के निवासियों के लिए जो अन्य राज्यों में शहीद हुए हों)	रुपये 03 लाख

18) मेघालय :– (के.स.पु.ब/राज्य पुलिस/होम गार्ड के कर्मियों के परिवारों के लिए जिसकी मृत्यु राज्य के कानून और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान और अन्य ड्यूटी करते हुए, मुठभेड़, उग्रवादी कार्रवाई, चरमपंथी या आतंकवादी कार्रवाई इत्यादि से जुड़े मामलों या घटनाओं में हुई हो और वे राज्य के निवासी हो, के परिवारों के लिए

परिस्थिति	रकम
राज्य में मृत्यु होने पर	रुपये 7.5 लाख
घायल होने पर	रुपये 01 लाख
राज्य से बाहर मृत्यु होने पर	रुपये 01 लाख
घायल होने पर	रुपये 20 हजार

19) मिज़ोरम :– कार्रवाई के दौरान मारे गए कर्मियों के आश्रितों के लिए लागू (राज्य के निवासी/गैर राज्य निवासी)

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रुपये 05 लाख

20) नागालैंड :– नागालैंड के निवासी जो राज्य या राज्य के बाहर किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं तथा नागालैंड में किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अन्य राज्य के निवासी के लिए लागू:–

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रुपये 01 लाख

21) उड़ीसा :– राज्य सरकार ने "रक्षा और अर्धसैनिक कर्मी राहत कोष, उड़ीसा" की स्थापना रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए की है, जो युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों के दौरान शहीद हुए हैं।

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रु0 5 लाख
मासिक पेंशन रु0 2000/–प्रतिमाह दिनांक– 01.06.2012 से	
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारी, जिनकी मृत्यु नक्सलविरोधी गतिविधियों के दौरान हुई हो, के उत्तराधिकारियों को भूमि का आबंटन।	

22) पंजाब :– पंजाब राज्य से संबंधित सेना/के.स.पु.ब. के शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू।

परिस्थिति	रकम
मृत्यु होने पर	रुपये 05 लाख
75 प्रतिशत से अधिक अशक्तता होने पर	रुपये 04 लाख
51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 02 लाख
25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अशक्तता होने पर	रुपये 01 लाख

23) राजस्थान :– (राज्य के निवासी जो किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं)

परिस्थिति	रकम
पत्नी के लिए: 5 लाख **(या)** 1 लाख + 25 बीघा भूमि **(या)** 01 लाख + एम.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड हाउस जिसकी कीमत रु 4 लाख रुपये तक है **(या)** यदि एम.आई.जी. हाउस की वास्तविक कीमत 4 लाख रुपये से अधिक हो तो कुल कीमत की राशि में से 4 लाख की राशि का भुगतान करने का प्रावधान।	
माता–पिता के लिए: लघु बचत योजना के तहत मासिक आय योजना में 1.5 लाख जमा किया जाएगा	

रोजगारः– पत्नी (या) बेटे (या) अविवाहित पुत्री के लिए
शिक्षाः– **(अ)** राज्य सरकार के स्कूल/ कॉलेज/तकनीकी/चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा **(ब)** स्कूल जाने वाले बच्चों को रु 1,800/–छात्रवृति और कॉलेज/मेडिकल/ इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज के छात्रों को 3,600/– रुपये छात्रवृत्ति देय होगी।
प्राथमिकता पर बिजली कनेक्शन व सिंचाई
आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा पत्नी और आश्रितों के लिए बस पास

24) तमिलनाडु :– (किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए राज्य के निवासी और राज्य में शहीद हुए अन्य राज्य के निवासी के लिए)

परिस्थिति	रकम
कार्रवाई में शहीद हुए	रुपये 20 लाख
पूर्ण अशक्त/डबल एम्प्यूटी/पूर्ण नेत्रहीन होने पर	रुपये 15 लाख
एकल एम्प्यूटी/एक आंख से नेत्रहीन होने पर	रुपये 10 लाख

25) तेलंगाना :– चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में शहीद/स्थायी रूप से अशक्त/गंभीर रूप से चोटिल कर्मियों के लिए लागू है। अनुग्रह राशि की दरें निम्नानुसार हैः–

राज्य में तैनाती के दौरान किसी कार्रवाई में शहीद हुए के.स.पु.ब. के कार्मिकों को इस तरह से अनुग्रह राशि दी जाएगी कि केन्द्र सरकार और संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकार से प्राप्त कुल लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुग्रह राशि के अलावा, राज्य में तैनात के.स.पु.बल के कर्मियों को सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत भी शामिल किया जाएगा और कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि रूपये 5,00,000/– (रैंक से इतर) भुगतान की जाएगी।

26) त्रिपुरा :– (राज्य के अंदर/बाहर किसी कार्रवाई में शहीद हुए राज्य के निवासी व अन्य राज्यों के निवासी जो राज्य में शहीद हुए हों)

परिस्थिति	रकम
कार्रवाई में शहीद होने पर	रुपये 02 लाख

27) उत्तर प्रदेश :– उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्य पुलिस/के.स.पु. बल के शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू।

परिस्थिति	रकम
यूपी पुलिस और सशस्त्र बल सहायता संस्थान से अनुग्रह राशि/ मुआवज़ा सहायता	
शहीद के मामले में (2 लाख उत्तराधिकारी को, 02 लाख माता–पिता को एवं उत्तराधिकारी को 02 लाख एफ.डी. के रुप में 03 वर्ष के लिए)	रुपये 06 लाख
स्थायी अशक्तता होने पर	रुपये 03 लाख
पुत्री के विवाह के लिए।	रुपये 1.5 लाख

28) उत्तराखण्ड :– राज्य से संबंधित सेना/के.स.पु.बल के कार्रवाई के दौरान शहीद हुए कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू।

परिस्थिति	रकम
अनुग्रह राशि कोष – 10 लाख	
विवाहित शहीद कर्मी के मामले में (शहीद की पत्नी को 6 लाख रुपये और माता–पिता को 04 लाख रुपये)	
यदि शहीद के माता–पिता जीवित नहीं हों तो पत्नी को 10 लाख का भुगतान किया जाएगा। अगर पत्नी जीवित नहीं है तो उक्त राशि माता–पिता को 4 लाख रुपये और शेष राशि 6 लाख का भुगतान शहीद के बच्चों को समान रुप से किया जाएगा। यदि पत्नी और माता–पिता जीवित नहीं हों तो 10 लाख रुपये का भुगतान शहीद के बच्चों को समान रुप से किया जाएगा।	
अविवाहित मृतक व्यक्ति के मामले मेंः–(मृतक के माता/पिता को 10 लाख रुपये)	

29) पश्चिम बंगाल :– (अगर नक्सल प्रभावित जिलों बंकुरा/ पुरूलिया/पश्चिम मिदनापुर) में ड्यूटी का निर्वहन करते हुए एंटी लेफ्ट विंग ऑपरेशन्स के दौरान शहीद हुए हैं)

परिस्थिति	रकम
राज्य अनुग्रह	रुपये 02 लाख
एस.आर.ई. स्कीम के तहत अनुग्रह राशि	रुपये 3 लाख (केवल एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले हेतु)
एस0आर0ई0 के तहत जी.पी.ए.आई.एस. (केवल एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों के लिए)	
मृत्यु पर	रुपये 10 लाख
घायल होने पर	रुपये 05 लाख

आईटीबीपी की केन्द्रीय कल्याण निधि

(योगदान योजना)

क. चिकित्सा उपचार के लिए कर्मियों को अग्रिम राशि।

ख. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कार्मिक को सलाना 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।

ग. बल स्तर के उत्सवों पर व्यय।

घ. नव गठित वाहिनियों/फॉर्मेशन में रेजिमेंटल संस्थानों जैसे वेट कैन्टीन, ग्रेन शॉप, सी0पी0सी कैन्टीन व मास्टर कैन्टीन इत्यादि को स्थापित करने के लिए अग्रिम।

ड. 90 गैर राजपत्रित कर्मियों और 10 राजपत्रित पदाधिकारियों को अपने बच्चों की उच्च तकनीकी/व्यावयायिक शिक्षा के लिए 2.5 लाख रूपये का शैक्षिक ऋण।

च. जवानों के कल्याण के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियां।

छ. बल कर्मियों को पूरी सेवा में 02 बार अपने पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए ऋण के रूप में रूपये 2 लाख देय है, जिसकी वार्षिक ब्याज दर 2.5 प्रतिशत होगी।

बीमा योजना :– निम्नलिखित बीमा योजनाएं बल के कर्मियों के लिए उनकी स्वेच्छा के अनुसार उपलब्ध हैं:–

वार्षिक प्रीमियम	लाभ
जीवन बीमा रु 1746/– प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति	किसी भी तरह की मृत्यु पर रुपये 10 लाख का लाभ (आत्महत्या के मामलों सहित)।
दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा 432/–प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति	**अ)** दुर्घटना से मृत्यु पर रुपये 10 लाख का लाभ **ब)** दुर्घटना के कारण चिकित्सा बोर्ड आउट होने पर रूपये 10 लाख का लाभ **स)** दो अंगों की हानि या दोनों आंख, एक अंग या एक आंख या दोनों कानों से सुनने के नुकसान के लिए 10 लाख रूपये का मुआवज़ा दिया जाएगा।

केंद्रीय हितकारी निधि से वित्तीय लाभ (अंशदायी योजना) :–

परिस्थिति	रकम
आतंकवादी, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के दौरान होने वाली मृत्यु– चाहे ड्यूटी के दौरान हो या अन्यथा। उपर्युक्त के अतिरिक्त सिविल प्रशासन की मदद के दौरान प्रदर्शन, दंगे, पुलिस समेत अन्य सरकारी कर्मियों, सार्वजनिक स्थल/वाहन में बम विस्फोट, अंधाधुंध फायरिंग, या **क.** चरमपंथियों या समाजविरोधी तत्वों के हमले या कार्रवाई के दौरान इत्यादि, **ख.** शत्रु के विरूद्ध युद्ध या सीमा संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियों जैसे मामले– **प्रथम,** ऑपरेशनल एरिया में जाते हुए चरमपंथियों की कार्रवाई, बारूदी सुरंगों में विस्फोट आदि **द्वितीय,** चरमपंथियों द्वारा अपहरण, **तृतीय,** बैटल इनॉकुलेशन/जिंदा राउंड से हो रहे अभ्यास/फील्ड फायर के दौरान हुई मृत्यु।	30 लाख
आत्महत्या सहित किसी भी प्रकार की मृत्यु पर	20 लाख
निम्न कारणों से मेडिकल बोर्ड आउट (अशक्तता के प्रतिशत का विचार किए बिना:):– आतंकवादी, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के दौरान होने वाली अशक्तता– चाहे ड्यूटी के दौरान हो या अन्यथा। उपर्युक्त के अतिरिक्त सिविल प्रशासन की मदद के दौरान प्रदर्शन, दंगे, पुलिस समेत अन्य सरकारी कर्मियों, सार्वजनिक स्थल/वाहन में बम विस्फोट, अंधाधुंध फायरिंग, या **क.** चरमपंथियों या समाजविरोधी तत्वों के हमले या कार्रवाई के दौरान इत्यादि, **ख.** शत्रु के विरूद्ध युद्ध या सीमा संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियों जैसे मामले– **प्रथम,** ऑपरेशनल एरिया में जाते हुए चरमपंथियों की कार्रवाई, बारूदी सुरंगों में विस्फोट आदि **द्वितीय,** चरमपंथियों द्वारा अपहरण, **तृतीय,** बैटल इनॉकुलेशन/जिंदा राउंड से हो रहे अभ्यास/फील्ड फायर के दौरान हुई अशक्तता	25 लाख
इसके अतिरिक्त, चिकित्सा बोर्ड आउट कर्मियो को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों का विवरण इस प्रकार है:'– 1. 0–50 प्रतिशत अशक्तता पर 2. 51–75 प्रतिशत अशक्तता पर 3. 76–100 प्रतिशत अशक्तता पर	 08 लाख 10 लाख 15 लाख
लापता बल कर्मी के उत्तराधिकारी को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ (रुपये 05 लाख की तत्काल सहायता उत्तराधिकारी को इस शर्त के साथ कि यदि गुम कर्मी भविष्य में मिल जाता है तो उसे सहायता राशि तुरंत वापस करनी होगी। शेष रु0 15 लाख की राशि कर्मी के मृत घोषित होने पर दी जाएगी।)	20 लाख रुपये

शिशु शिक्षा भत्ता:–

सेवारत/दिवंगत कर्मियों के बच्चों के लिए :–

ए) शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 2250/– मासिक है।

बी) छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपये 6750/– मासिक है।

सी) यदि दोनों पति–पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही शिशु शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है।

डी) संशोधित वेतन संरचना पर मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर शिशु शिक्षा भत्ते में 25 प्रतिशत की प्रत्येक बार बढ़ोत्तरी हो जाएगी। अशक्त बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना होगा।

प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद एक बार ही शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए उस संस्थान प्रमुख से प्रमाण पत्र काफी होगा कि कर्मी की संतान ने वहां अध्ययन किया है। प्रमाण पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षिक सत्र में बच्चा स्कूल में अध्ययनरत था। हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी संस्था प्रमुख का इसी प्रकार प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। सर्टिफिकेट में आवासीय परिसर में रहने और बोर्डिंग के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की राशि का अतिरिक्त उल्लेख होना चाहिए। उल्लेखित व्यय की राशि या उपर्युक्त वर्णित सीमा, जो भी कम हो, उसका कर्मचारी को भुगतान होगा। यह आदेश 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो चुके हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं असम राइफल और एन.एस.जी. के गुम हुए/अशक्त/किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए पदाधिकारियों के बच्चों को शिक्षा अनुदान में दी जाने वाली छूट का विवरण निम्नानुसार है :–

ट्यूशन शुल्क	पूर्ण प्रतिपूर्ति
हॉस्टल शुल्क	पूर्ण प्रतिपूर्ति
किताबों /स्टेशनरी की लागत	रुपये – 2000/–प्रति वर्ष
वर्दी की लागत	रुपये – 2000/–प्रति वर्ष
वस्त्र	रुपये – 700/– प्रति वर्ष

क. ट्यूशन और छात्रावास शुल्क की संयुक्त राशि रूपये–10,000/– मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 प्रतिशत डी0ए0 बढ़ने पर भत्ता प्रत्येक बार 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

ख. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं।

ग. शिक्षा अनुदान हेतु आवेदन गुम/अशक्त/शहीद कर्मी की अंतिम तैनाती वाहिनी को शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

आईटीबीपी कार्मिक के बच्चों के लिए क्रेच/देखभाल केंद्र निम्नांकित स्थानों पर उपलब्ध हैं:–

क्र. सं.	विवरण
1	11वीं वाहिनी, पेगोंग (सिक्किम)
2	12वीं वाहिनी, मातली (उत्तराखंड)
3	35वीं वाहिनी, माहीडाण्डा
4	47वीं वाहिनी, सांबा
5	50वीं वाहिनी, रामगढ़
6	परिवहन वाहिनी, चण्डीगढ़
7	आईटीबीपी अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)
8	क्षेत्रीय मुख्यालय, देहरादून
9	क्षेत्रीय मुख्यालय, डिब्रूगढ़
10	एम0 एण्ड एस0 आई, औली (उत्तराखंड)

संचालन नियंत्रण केंद्र :– अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आईटीबीपी संचालन नियंत्रण केंद्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है:–

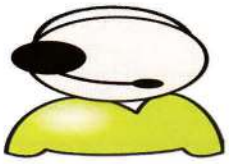

क. जम्मू, उधमपुर, हजरत निज़ामुद्दीन, दिल्ली, आनंद विहार, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, लखनऊ, एन.जे.पी., गुवाहाटी और बरेली।

ख. गुवाहाटी, एनजेपी और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर आईटीबीपी कर्मियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए संचालन नियंत्रण केंद्र पहले ही क्रियान्वित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम :–

क. आई.टी.बी.पी., एन.एस.डी.सी और एन.एस.डी.एफ. ने आईटीबीपी कार्मिक, सेवानिवृत्त कर्मियों और शहीदों के परिवारों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के कल्याण के रूप में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 27.06.17 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख. एन.एस.डी.सी. ने इस कार्यालय के साथ पूरे देश में एन.एस.डी.सी. के अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों/केंद्रों की एक सूची साझा की है। पी.एम.के.वी.वाई. के तहत कौशल प्रशिक्षण में रूचि रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार/बच्चे इन केंद्रों में से किसी एक पर सीधे पंजीकरण कर सकते हैं।

ग. इस सूची को आई.टी.बी.पी. की सभी फॉरमेशन के साथ साझा किया गया है ताकि परिवार/बच्चों में इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित हो व इच्छुक परिवार/बच्चे कौशल प्रशिक्षण ले सकें।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों में आईटीबीपी पब्लिक स्कूलों का विवरण :–

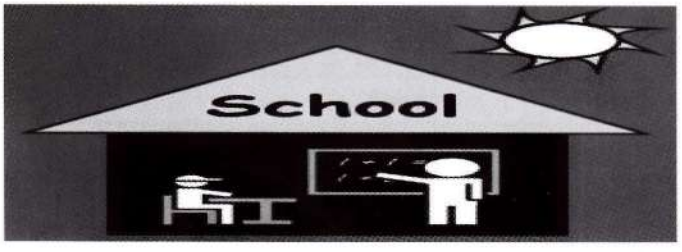

क्र. स.	वाहिनी	कक्षा
1	आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली।	के.जी. से 12वीं कक्षा
2	प्रथम वाहिनी, जोशीमठ	एल.के.जी./यू.के.जी.
3	पंचम वाहिनी, लेह	एल.के.जी./यू.के.जी.
4	आठवीं वाहिनी, गौचर	एल.के.जी./यू.के.जी.
5	नवीं वाहिनी, लोहितपुर	एल.के.जी./यू.के.जी.
6	नवीं वाहिनी, मोहनबाड़ी	एल.के.जी. से 12वीं कक्षा
7	11वीं वाहिनी, पेगोंग	एल.के.जी. से यू.के.जी.
8	14वीं वाहिनी, पिथौरागढ़	एल.के.जी./यू.के.जी.
9	17वीं वाहिनी, रिकांगपियो	एल.के.जी./यू.के.जी.
10	19वीं वाहिनी, सराहन	एल.के.जी./यू.के.जी.
11	20वीं वाहिनी, अलोंग	एल.के.जी. से 12वीं कक्षा
12	21वीं वाहिनी, पंथाचौक	एल.के.जी./यू.के.जी.
13	22वीं वाहिनी, दिल्ली	एल.के.जी./यू.के.जी.
14	32वीं वाहिनी, कानपुर	प्ले/यू.के.जी.
15	35वीं वाहिनी, माहीडांडा	एल.के.जी./यू.के.जी.
16	41वीं वाहिनी, खुर्दा (ओडिशा)	एल.के.जी. से पहली कक्षा
17	45वीं वाहिनी, मदुरै	एल.के.जी. से पांचवी कक्षा
18	एस.एस. वाहिनी, सबोली	एल.के.जी. से 10वीं कक्षा
19	परिवहन वाहिनी, चण्डीगढ़	एल.के.जी./यू.के.जी.
20	एम. एण्ड एस.आई. औली	एल.के.जी./यू.के.जी.
21	क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून)	एल.के.जी./यू.के.जी.
22	एस.टी.एस. शिवपुरी, (एम.पी.)	एल.के.जी./यू.के.जी.
23	सपोर्ट वाहिनी, करेरा (म.प्र.)	एल.के.जी./यू.के.जी.

क. आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल, सेक्टर–16बी, द्वारका, नई दिल्ली में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है।

ख. सीमाद्वार, देहरादून में आई.टी.बी.पी. पदाधिकारियों के जो बच्चे विभिन्न उच्च अध्ययन जैसेः बी.टैक, एम.टैक आदि कर रहे हैं, उन के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है।

कैंटीन सुविधाएं :– वर्तमान में आईटीबीपी में कुल 12 मास्टर कैंटीन और 79 सब्सिडियरी कैंटीन चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

अ) मास्टर कैंटीनः–

क्र. स.	मास्टर कैंटीन
1	क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला)
2	क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून)
3	क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली)
4	पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय

क्र. स.	मास्टर कैंटीन
5	22वीं वाहिनी
6	क्षेत्रीय मुख्यालय (लददाख), भा.ति.सी.पु. 56 ए.पी.ओ.
7	सपोर्ट वाहिनी, करेरा (म.प्र.)
8	परिवहन वाहिनी, चण्डीगढ़
9	प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू
10	14वीं वाहिनी, पिथौरागढ़
11	एस.एस. वाहिनी
12	क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक) सिक्किम

ब) सहायक कैंटीन :-

क्र. सं.	कैंटीन	क्र. सं.	कैंटीन
1	प्रथम वाहिनी	2	तृतीय वाहिनी
3	द्वितीय वाहिनी	4	क्षे. मु., बैंगलुरू
5	पंचम वाहिनी	6	47वीं वाहिनी
7	6ठी वाहिनी	8	टैक हैड़क्वार्टर, 47वीं वाहिनी, लेह
9	7वीं वाहिनी	10	48वीं वाहिनी
11	8वीं वाहिनी	12	50वीं वाहिनी
13	11वीं वाहिनी	14	51वीं वाहिनी
15	12वीं वाहिनी	16	52वीं वाहिनी
17	13वीं वाहिनी	18	53वीं वाहिनी
19	14वीं वाहिनी	20	54वीं वाहिनी
21	15वीं वाहिनी	22	56वीं वाहिनी
23	16वीं वाहिनी	24	टैक हेडक्वार्टर, 15वीं वाहिनी
25	17वीं वाहिनी	26	टैक हेडक्वार्टर, 21वीं वाहिनी, लेह
27	18वीं वाहिनी	28	महानिदेशालय, केन्द्रीय कार्यालय परिसर
29	19वीं वाहिनी	30	पूर्वी सीमांत मुख्यालय
31	21वीं वाहिनी	32	सेंट्रल फंटियर
33	22वीं वाहिनी	34	भा.ति.सी.पु., अकादमी
35	23वीं वाहिनी	36	क्षेत्रीय मुख्यालय (पटना)
37	24वीं वाहिनी	38	क्षेत्रीय मुख्यालय (लद्दाख)
39	25वीं वाहिनी	40	क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला)
41	26वीं वाहिनी	42	प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू
43	27वीं वाहिनी	44	क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक)
45	28वीं वाहिनी	46	क्षेत्रीय मुख्यालय (ईटानगर)
47	29वीं वाहिनी	48	क्षेत्रीय मुख्यालय (लखनऊ)
49	30वीं वाहिनी	50	क्षेत्रीय मुख्यालय (भुवनेश्वर)
51	31वीं वाहिनी	52	सी.टी.सी. (अलवर)
53	32वीं वाहिनी	54	एम.डी.एस. (अल्मोड़ा)
55	33वीं वाहिनी	56	आर.टी.सी. (शिवगंगई)
57	34वीं वाहिनी	58	आर.टी.सी. (करेरा)
59	35वीं वाहिनी	60	आर.टी.सी. (किमिन)
61	36वीं वाहिनी	62	रेफरल अस्पताल
63	37वीं वाहिनी	64	एम.पी.एस.ड़ी.
65	39वीं वाहिनी	66	एम. एण्ड़ एस.आई. औली
67	40वीं वाहिनी	68	सी.आई.जे.डब्ल्यू. माहीडांडा
69	41वीं वाहिनी	70	सपोर्ट वाहिनी
71	42वीं वाहिनी	72	दूरसंचार वाहिनी
73	43वीं वाहिनी	74	परिवहन वाहिनी
75	44वीं वाहिनी	76	एन.आई.एस.आर.डी.आर.
77	45वीं वाहिनी	78	एस.एस.वाहिनी
79	46वीं वाहिनी		

सुविधा वाहन :-

स्थान	टोयोटा इनोवा	फोर्स ट्रेवलर
उत्तरी सीमांत मुख्यालय	01 क्षे.मु. (शिमला) 01 द्वितीय वाहिनी, कुल्लू 01 उत्तरी सीमांत मुख्यालय, देहरादून 01 ट्रांज़िट कैंप, ऋषिकेश	01 उत्तरी सीमांत मुख्यालय, देहरादून 01 ट्रांजिट कैंप, ऋषिकेश
पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय	01 33वीं वाहिनी, गुवाहाटी	01 33वीं वाहिनी, गुवाहाटी
पूर्वी सीमांत मुख्यालय	01 क्षे.मु. (गंगटोक) 01 ट्रांजिट कैंप, काठगोदाम 01 पूर्वी सीमांत मुख्यालय, लखनऊ	01 ट्रांजिट कैंप, काठगोदाम 01 पूर्वी सीमांत मुख्यालय, लखनऊ
उत्तरी–पश्चिम सीमांत मुख्यालय	01 52वीं वाहिनी,अमृतसर 02 क्षे.मु. (लेह) 01 39वीं वाहिनी 01 उ.प.सीमांत मुख्यालय, चण्डीगढ़	01 39वीं वाहिनी, नोएडा 01 उ.प.सीमांत मुख्यालय,चण्डीगढ़
केंद्रीय सीमांत मुख्यालय	01 केंद्रीय सीमांत मुख्यालय, भोपाल 01 क्षे.मु. (बैंगलुरू) 01 45वीं वाहिनी, मदुरै 01 क्षे.मु. (पटना)	01 27वीं वाहिनी, केरला 01 41वीं वाहिनी, भुवनेश्वर
महानिदेशालय भा.ति.सी.पुलिस बल	02 महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल	01 महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु.बल
अकादमी	01 अकादमी,मसूरी	–
ट्रेनिंग जोन	–	01 आर.टी.सी(करेरा)
कुल	20	11

वर्तमान दरें :-

हल्का सुविधा वाहन	रू 8/– प्रति कि.मी.
मध्यम सुविधा वाहन	रू 13/–प्रति कि.मी.
हर इण्डैंट पर दूरी सीमा	1000 कि.मी.
हर इण्डैंट पर समय सीमा	04 दिन

महानिदेशालय और बल की सभी फॉर्मेशनों में शिकायत और कल्याण प्रकोष्ठ :-

शिकायत और कल्याण प्रकोष्ठ उप महानिरीक्षक (संगठन और कल्याण), महानिदेशालय के अधीन बल में कार्यरत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों तथा शहीद कर्मियों के आश्रितों की शिकायतों की देखभाल और निगरानी करने के लिए क्रियाशील है। शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी वाहिनी स्तर तक नियुक्त किए गए हैं। समस्त फॉर्मेशनों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिन्हें वीर नारियों/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से साप्ताहिक रूप से परस्पर मिलने के दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

आई.टी.बी.पी. शिकायत पोर्टल :-

आईटीबीपी शिकायत पोर्टल का उपयोग कर बल के कर्मचारी अपनी शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

एस.एम.एस. हेल्पलाइन :-

बल के कर्मचारी उप महानिरीक्षक (कल्याण) के मोबाइल नंबरः 9560070212 पर एस.एम.एस के माध्यम से अपनी शिकायतें भी पंजीकृत कर सकते हैं।

प्रैप मंत्रा :-

क. AyiBo Solution Private Limited ने गृह मंत्रालय, के.स.पु.बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त शिक्षा के पैकेज उपलब्ध किए हैं।

ख. इसके लिंक आईटीबीपी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रैप मंत्रा ऑफरः–

क. यह एक बौद्धिक रूप से प्रभावशाली मंच है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयारी में मदद करता है।

ख. 30 से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सभी प्रमुख भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं को शामिल करता है।

ग. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अच्छी तरह से संगठित अध्ययन सामग्री (नोट्स और वीडियो)

घ. विद्यार्थी विषय पर आधारित असीमित अभ्यास परीक्षा दे सकते हैं।

ङ. विस्तृत प्रदर्शन आंकड़ें छात्रों को अपनी कमी और ताकत का विस्तृत विश्लेषण करने में सहायक होते हैं, जो कि अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा व स्वयं की तैयारी के आधार पर की जा सकती है।

च. प्रैप मंत्रा की विशेषता है कि छात्रों को सहयोग पूर्ण माहौल में अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में सहायक बनाती हैं। इनमें छात्र से छात्र बातचीत, नेटवर्किंग, तुलनात्मक बेंचमार्किंग, चुनौतियाँ और प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड :-

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड की स्थापना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की शिकायतों एवं उनके कल्याण के निवारण के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में, 01 सेंट्रल वेलफेयर अधिकारी, 5 राज्य कल्याण अधिकारी और 18 जिला कल्याण अधिकारियों को आईटीबीपी में कल्याण के कार्य को सुचारू से चलाने के लिए नामांकित किया गया है।

राज्य कल्याण अधिकारी :-

क्र.सं	कार्यालय पता	राज्य	फॉरमेशन
1	महानिरीक्षक, पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय, भातिसीपु बल, ईटानगर, पत्रालय–खातिंग पहाड़ी, जिला–पपुमपारे ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)–791111	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय
2	उप महानिरीक्षक, उत्तर पश्चिमी सीमांत मुख्यालय, भातिसीपु बल पत्रालय– एयरपोर्ट, चण्डीगढ़ (यू.टी.) 160003	चण्डीगढ़	उत्तर पश्चिम सीमांत मुख्यालय
3	उप महानिरीक्षक,क्षे0मु0 (शिमला) भातिसीपु बल, पत्रालय–तारादेवी, जिला–शिमला, हिमाचल प्रदेश–171010	हिमाचल प्रदेश	क्षे.मु. (शिमला)
4	उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0 (देहरादून) भातिसीपुबल, सीमाद्वार, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड)	उत्तराखण्ड	क्षे.मु. (देहरादून)
5	उप महानिरीक्षक,क्षे0मु0(गंगटोक), भातिसीपु बल, मेट्रो प्वाईंट के नीचे, पत्रालय–समदूर(टडोंग) पूर्व सिक्किम–737102	सिक्किम	क्षे. मु. (गंगटोक)

जिला कल्याण अधिकारी :-

	कार्यालय का पता	राज्य	जिला	फॉरमेशन
1	उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0(लद्दाख),भातिसीपु बल,चुगलमसर,जिला–लेह (जम्मू व कश्मीर)	जम्मू व कश्मीर	लेह	क्षे.मु. (लद्दाख)
2	उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0(शिमला) भातिसीपु बल, पत्रालय–तारादेवी, हिमाचल प्रदेश–171010	हिमाचल प्रदेश	शिमला व सोलन	क्षे.मु. (शिमला)

	कार्यालय का पता	राज्य	जिला	फॉरमेशन
3	उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0(गंगटोक), भातिसीपु बल, मैट्रो प्वाईंट के नीचे, पत्रालय–समदूर(टडोंग) पूर्व सिक्किम–737102	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	क्षे0मु0 (गंगटोक)
4	उप महानिरीक्षक, माउंटेन ड्राईविंग स्कूल, जिला–अल्मोड़ा उत्तराखण्ड–263643	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा	माउंटेन ड्राईविंग स्कूल
5	सेनानी, दूरसंचार वाहिनी, भातिसीपु बल,शिवपुरी, जिला–शिवपुरी (मध्य प्रदेश)–पिनकोड–473551	मध्यप्रदेश	शिवपुरी	दूरसंचार वाहिनी
6	सेनानी,एस.एस.वाहिनी, भातिसीपु बल सबोली कैंप,पत्रालय–नाथूपुर, जिला–सोनीपत (हरियाणा)–131029	हरियाणा	सोनीपत	एस.एस.वाहिनी,
7	सेनानी,द्वितीय वाहिनी, भातिसीपु बल पत्रालय–बबेली, जिला–कुल्लू (हि0प्र)175138	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू, मण्डी व बिलासपुर	द्वितीय वाहिनी
8	सेनानी, 8वीं वाहिनी, भातिसीपु पत्रालय–गौचर जिला–चमोली, उत्तराखण्ड–246429	उत्तराखण्ड	चमोली, गोचर	8वीं वाहिनी
9	सेनानी 9वीं वाहिनी, भातिसीपुबल मार्फत 99 ए.पी.ओ, लोहितपुर (अरूणाचल प्रदेश)	अरूणाचल प्रदेश	लोहित	9वीं वाहिनी
10	सेनानी 10वीं वाहिनी, भातिसीपु बल पत्रालय– किमिन, जिला–पापुमपारे, ईटानगर, (अरूणाचल प्रदेश) 791121 मार्फत 11 एपीओ	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	10वीं वाहिनी
11	सेनानी, 12वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, मातली, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)–249193	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी मातली	12वीं वाहिनी
12	सेनानी 17वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, पत्रालय रिकॉगपीओ, जिला किन्नौर (हि0प्र0)–172107	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	17वीं वाहिनी
13.	सेनानी, 20 वीं वाहिनी, भातिसीपु, बल अलोंग जिला–वैस्ट सियांग ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)– 791001, मार्फत 099 ए.पी.ओ.	अरुणाचल प्रदेश	अलोंग	20वीं वाहिनी
14.	सेनानी, 23वी वाहिनी, भातिसी पुलिस बल पत्रालय– सीमाद्वार, जिला – देहरादून (उत्तराखण्ड) 248146	उत्तराखण्ड	देहरादून	23वीं वाहिनी
15.	सेनानी, 25वीं वाहिनी, भातिसी पुलिस बल पत्रालय तेजू, जिला– लोहित, (अरुणाचल प्रदेश)– 792001	अरुणाचल प्रदेश	तिनसुकिया	25वीं वाहिनी
16	सेनानी, 36वी वाहिनी भा.ति.सी.पुलिस लोहाघाट,जिला–चम्पावत (उत्तराखण्ड) 262524	उत्तराखण्ड	चम्पावत	36वीं वाहिनी
17	सेनानी, 45वीं वाहिनी भा.ति.सी.पुलिस बल ईडियापट्टी कैम्प, जिला– मदुरै, राज्य–तमिलनाडु –625110	तमिलनाडु	डिंगीगुल, थेनी,वीरुधुनगर, पुदूकोटई व मदुरै	45वीं वाहिनी
18.	सेनानी, 53वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल गांव–पालम मण्डल, पत्रालय– कालीकीरी जिला– चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर	53वीं वाहिनी

उद्घोषणा :– यह बल में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रथम संस्करण है, जिसमें जून, 2018 तक के आदेशों का संकलन किया गया है। यद्यपि इसे त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया गया है, इसमें किसी भी लिपिकीय त्रुटि की दशा में संबंधित आदेश की मूल प्रति में उल्लेखित विवरण ही अंतिम माना जाएगा।

चीफ पैट्रन आर. के. पचनंदा, महानिदेशक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, पैट्रन आर. के. मिश्रा, अपर महानिदेशक, मुख्य संपादक दलजीत सिंह चौधरी, महानिरीक्षक मुख्यालय, संदीप खोसला, उप महानिरीक्षक, प्रशासन संपादक विवेक कुमार पाण्डेय, द्वितीय कमान, जनसंपर्क पदाधिकारी, निरी/हिन्दी अनुवादक अशोक कुमार, निरी/हिन्दी अनुवादक नेहा कंसल
डिजाईन एवम् ले आउट सि./जी. डी. ए. रामा राव
Reach us: Twitter/Instagram/Youtube- @ITBP_official, Facebook-@ITBPofficial